न्यायालय अपर जिला कलक्टर, अजमेर

अपील संख्या 22/2024

1. जगदीश उर्फ जुगराज पुत्र नाथा उर्फ नाथूलाल
2. धापू पुत्री नाथा उर्फ नाथूलाल
3. रातनलाल पुत्र नाथा उर्फ नाथूलाल
4. शिवराज पुत्र नाथा उर्फ नाथूलाल
5. सांवरा पुत्र नाथा उर्फ नाथूलाल
6. किशनलाल पुत्र महादेव
7. नानू पुत्र महादेव
8. पूजा पुत्री भंवरलाल
9. लक्ष्मण पुत्र भंवरलाल
10. लालचन्द पुत्र भंवरलाल
11. विकास पुत्र भंवरलाल
12. सुमित्रादेवी पत्नी भंवरलाल
13. हरकरण पुत्र पन्ना
14. आयचुकी पत्नी छोटू
15. कमला पुत्र छोटू
16. कालूराम पुत्र छोटू
17. नारायण पुत्र छोटू

समस्त जाति जाट निवासी जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर

.....अपीलान्टस

बनाम

रघुवीर सिंह पुत्र केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर अजमेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पिरूद्ध तहसीलदार पीसांगन के आदेश क्रमांक तह.पीसांगन/कोर्ट/2024/991 (ए आर) दिनांक 19.06.2024

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार चौधरी, श्री सुधान्शु टांक, अपीलान्टस की ओर से

2. श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री एजाज अहमद, रेस्पोंडेन्टसे की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 14.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार पीसांगन ने राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 हनवान जुगराज पुत्र नाथा उर्फ नाथूलाल व अन्य बनाम रघुवीरसिंह पुत्र केसरसिंह में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर पत्रांक 991 (एआर) दिनांक 19.06.2024 से प्रार्थीगण को सूचित किया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पीसांगन के पत्र दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अपीलान्टस की ओर से वकील श्री अनिल कुमार चौधरी व सुधान्शु टांक तथा रेस्पोंडेन्टस की ओर से वकील श्री अजीत सिंह राठौड़ व श्री एजाज अहमद ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

बहस प्रारंभ होने पर वकील अपीलान्टस ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने हेतु अवगत कराया कि अपीलान्टस की जमाबन्दी अनुसार शामलाती भूमि खसरा नम्बर 332, 336, 337, 338, 329, 335, 326, 330, 6654/327 ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन में स्थित है। अपीलान्ट उक्त कृषि जोतो में आवागमन हेतु खसरा नमब्र 386, 366, 362, 360, 397, 398, 339, 361 व 339 से लगती हुई पाल की भूमि के सहारे सहारे सिथत कदीमी रास्ते, मौके पर चालू का उपयोग कर रहे है। खसरा नम्बर 360 के खातेदार रेस्पोडेन्ट श्री रघुवीर सिंह ने अपने खेत की सीमा से आगे बढ़कर मौके पर अवरूद्ध कर दिया जिससे अपीलान्ट को अपने खेतो तक आने जाने में असुविधा हो रही है। उक्त मौके पर कदीमी रास्ते को खुलवाने के लिए अपीलान्टस द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु तहसीलदार पीसांगन ने सरसरी तौर पर प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि अपीलान्ट ने प्रार्थनापत्र में यह अंकित नहीं किया है कि रास्ताा कितने फुट लम्बा व चौड़ा है, अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थी को बेदखल करने का निवेदन किया है, प्रार्थनापत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

उन्होने यह भी कथन किया कि धारा 251 के तहत अवरूद्ध रास्ते को खुलवोन का क्षेत्राधिकर सम्बन्धित तहसीलदार का ही है। तहसीलदार पीसांगन द्वारा सरसरी तौर पर ही प्रार्थनापत्र का निस्तारण कर दिया गया, न तो प्रकरण को दर्ज किया गया न ही रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये न ही पटवारी से रास्ते की भौतिक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। इस प्रकार तहसीलदार

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

पीसांगन का उक्त आदेश दिनांक 19.06.2024 न्याय, नियम व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम जेठाना स्थित खसरा नम्बर 360 अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमं अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थी द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का ही उपयोग किया जा रहा है। अपीलार्थी ने इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अप्रार्थी द्वारा अपने खेत की सीमा से आगे बढ़कर उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्ध किया है, न ही उक्त रास्ते पर अतिक्रमण किया है। अतः: अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली एवं प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट जगदीश उर्फ जुगराज पुत्र नाथा व नाथूलाल व अन्य द्वारा उनकी कृषि भूमि तक आवागमन के कदीमी व अवरूद्ध रास्ते को खुलवाने हेतु धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर पटवारी से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर दोनो पक्षों की सुनवाई की जाकर प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाना था परन्तु तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई अंकित नहीं की है तथा प्रार्थनापत्र उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट श्री जगदीश व अन्य द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन अपील (विरूद्ध तहसीलदार पीसांगन के आदेश दिनांक 19.06.2024) को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीसांगन के आदेश दिनांक 19.06.2024 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः तहसीलदार पीसांगन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित करते हुए निस्तारण करे।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया। आदेश की एक प्रति तहसीलदार पीसांगन को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(ज्योति ककवानी)
(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते